

संशोधित प्रपत्र-1

कोषागार द्वारा पेंशन भोगी के खाते में सीधे चेक द्वारा प्रतिमाह देय पेंशन की धनराशि जमा करने का आवेदन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं \_\_\_\_\_ पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_ पेंशन भुगतानादेश संख्या (पी0पी0ओ0 संख्या) \_\_\_\_\_ श्रेणी

(उत्तर प्रदेश सरकार/मिलेट्री/रेलवे/राजनैतिक/केन्द्रीय/अन्य सरकार नाम सहित) \_\_\_\_\_ रुपये

मात्र की देय धनराशि बैंक में कोषागार द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक \_\_\_\_\_

शाखा \_\_\_\_\_ में खाता संख्या \_\_\_\_\_ अपने नाम (एकल खाता) में खुलवा

लिया है।

2. मैं, सशपथ स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त खाते को मैं भविष्य में भी एकल खाता से भिन्न संचालित नहीं करूंगा।

3. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं अन्यत्र किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूँ/करती हूँ (महिलाओं के प्रकरण में पुनर्विवाह न करने की पुष्टि की जाय)।

4. मेरी मृत्यु होने की दशा में पेंशन सम्बन्धी जीवनकालीन अवशेष भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (सम्बन्ध) निवासी \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ को किया जाय।

5. यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/मेरे वारिस के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जा सकेगा।

दिनांक :

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पी0पी0ओ0 संख्या \_\_\_\_\_

कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी के हस्ताक्षर

(नये प्रकरण में कार्यालयाध्यक्ष, पुराने पेंशन भोगी जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के प्रकरण में कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। नये पेंशन प्रकरण में पी0पी0ओ0 संख्या पेंशन स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा भरी जाय।)

टिप्पणी- यदि किसी कारणवश पेंशन के आवेदन-पत्र के साथ प्रपत्र-1 न भेजा जाय तब इस कारण से पेंशन स्वीकृति न रोकी जाय, अपितु निर्देश दे दिया जाय कि कोषागार में प्रथम उपस्थिति के समय यह प्रपत्र भरा लिया जाय।